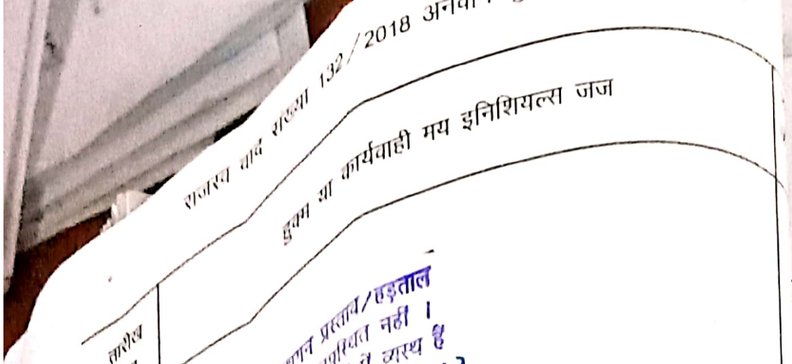

राजस्व वाद संख्या 132/2018 अनवा...

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
14-11-19	बार संघ का कार्य स्थगन प्रस्ताव/हड़ताल के [illegible] अधिवक्तागण उपस्थित नहीं। पीठा[illegible] अन्य कार्यों में व्यस्त है पत्रावली दिनांक 3.2.20 को पेश हो
03.02.2020	उभयपक्ष के अधिवक्ता उपस्थित बहस सुनी गई पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 17.02.2020 को पेश हो।
17.02.2020	उभयपक्ष अधिवक्ता उपस्थित गत पेशी पर सुनी गई दौरानें बहस सुयोग्य अधिवक्तागण द्वारा अपनें प्रार्थना पत्र व जबाव प्रार्थना पत्र को विस्तृत रूप से दोहराया गया प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण के विरूद्ध इस आश्य की निषेधाज्ञा चाही है, कि अप्रार्थीगण मौका पर अपनी खरिद शुद्धा भूमि की पैमाईश करवाये बिना स्वंय की खरिद शुद्धा भूमि से अधिक प्रार्थी के नाम चक 20 एच.एम.एच. के राजस्व रिकार्ड में दर्ज कृषि भूमि पत्थर नम्बर 118/290 (88) के किला नम्बर 5/.253 हैक्टर पर जबरन अतिक्रमण कर उस पर निर्माण करनें एवम् दिवार निकालनें से निषिद्ध रहे। अप्रार्थी द्वारा अपनें जबाब प्रार्थना पत्र में कथन किया कि पूर्व में भी प्रार्थी द्वारा इस सम्बंध में विवाद किया गया था मई 2015 में भूमि की पैमाईश का एक प्रार्थना पत्र तहसीलदार के यहां प्रस्तुत किया गया था जिस पर पटवारी हल्का द्वारा गांव के मौजिज व्यक्तियों के समक्ष भूमि की पैमाईश की गई थी। जिसमें अप्रार्थी की जगह सही पाई गई थी। अप्रार्थी द्वारा जो भी निर्माण कार्य किया जा रहा है। वह भूमि पैमाईश करवाकर अपनी खरिदशुद्धा जमीन पर ही निर्माण कार्य करवाया जा रहा है। अप्रार्थी द्वारा वर्ष 2012 में दीवार बनवाई गई थी। जो किला नम्बर 6 में ही बनी हुई है। प्रार्थी द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र मिन अप्रार्थी को तंग परेशान करनें हेतु प्रस्तुत किया गया है जो मय खर्चा खारिज फरमाया जावे। समायत बहस पर मनन किया गया पत्रावली का अवलोकन किया गया बाद अवलोकन पाया कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित पाये जानें पर स्वीकार किया जाकर मूल वाद संख्या 162/2018 अनवानी सुरजाराम बनाम भागदास के अन्तिम निर्णय तथा स्थाई निषेधाज्ञा इस आश्य की जारी की जाती है, कि प्रार्थी के खातेदारी भूमि चक 20 एच.एम.एच. के पत्थर नम्बर 118/290 (88) के किला नम्बर 5/.253 हैक्टर पर अप्रार्थीगण जबरन अतिक्रमण कर उस पर निर्माण करनें एवम् दिवार निकालनें से निषिद्ध रहे। यह आदेश आज दिनांक 17.02.20209 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तकमील मूल वाद के साथ संलग्न हो। (कपिल यादव) उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर उपखण्ड अधिकारी हनुमानगढ़

उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर हनुमानगढ़

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Kapil Kumar Yadav
Date: 2020.02.19 13:16:03 IST
Reason: SelfAttested

Website Copy Not Official